

कार्यालय : शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक : / 2023

राजगढ़, दिनांक :

// कार्यालयीन आदेश //

माह अक्टूबर-नवम्बर 2023 हेतु जिला मुख्यालय राजगढ़ एवं तहसीलों में न्यायालय भवन में समय दोपहर 03:00 से 05:00 बजे के मध्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने समस्त स्टाफ के साथ उपस्थित होकर रिमांड ड्यूटी सम्पादित करेंगे :-

जिला मुख्यालय राजगढ़

	नाम	पद	रिमांड ड्यूटी का दिनांक
1.	श्री सचिन जैन	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 1, 2 माह नवम्बर - 13, 14, 15, 18, 19,
2.	सुश्री स्वाति सिंह बघेल	जे.एम.एफ.सी.	माह नवम्बर - 10, 11, 12, 26, 27
3.	सुश्री स्निग्धा पाठक	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 8, 15, 21, 22, 23, 24, 29 माह नवम्बर - 05

तहसील ब्यावरा

1.	श्रीमती रानो बघेल	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 1, 2 माह नवम्बर - 10, 11, 12
2.	सुश्री ऋचा गोयल	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 8, 15 माह नवम्बर - 13, 14, 15
3.	श्री शुभांशु ताम्रकार	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 29 माह नवम्बर - 18, 19, 26, 27
4.	श्री सुधि रंजन बागरी	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 21, 22, 23, 24 माह नवम्बर - 05

तहसील नरसिंहगढ़

1.	श्रीमती विमलेश मुडैया	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 8, 15, 29 माह नवम्बर - 13, 14, 15
2.	श्री कपिल देव काछी	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 1, 2 माह नवम्बर - 5, 10, 11, 12
3.	सुश्री स्वाति गोयल	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर - 21, 22, 23, 24 माह नवम्बर - 18, 19, 26, 27

तहसील सारंगपुर

1.	श्री रविन्द्र गुप्ता	जे.एम.एफ.सी.	माह नवम्बर – 10, 11, 12, 13, 14, 15
2.	श्रीमती पल्लवी बंसल	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर – 1, 2, 8, 15 माह नवम्बर – 5, 26, 27
3.	श्री सजंय जैन	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर – 21, 22, 23, 24, 29 माह नवम्बर – 18, 19

तहसील जीरापुर

1.	श्री मनोज कुमार गोयल	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर – 08, 15, 29 माह नवम्बर – 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15
2.	श्रीमती दिव्या मित्तल	जे.एम.एफ.सी.	माह अक्टूबर – 1, 2, 21, 22, 23, 24 माह नवम्बर – 18, 19, 26, 27

तहसील खिलचीपुर

1.	सुश्री अनुष्का शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	अक्टूबर माह के समस्त अवकाश दिवस
2.	सुश्री शिवानी धुर्वे	जे.एम.एफ.सी.	नवम्बर माह के समस्त अवकाश दिवस

नोट—

- 1 मजिस्ट्रेटगण द्वारा अवकाश आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में इस बात का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे कि चाही गई अवकाश अवधि के दौरान उनकी रिमाण्ड ड्यूटी है अथवा नहीं।
- 2 सभी मजिस्ट्रेटगण रिमाण्ड ड्यूटी आपस में सामंजस्य कर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व लिखित सूचना देकर समायोजित कर सकेंगे।
- 3 आकस्मिक रूप से घोषित होने वाले अवकाश में उन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पन्न की जावेगी जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी आकस्मिक घोषित अवकाश के ठीक पूर्व अवकाश में थी। मजिस्ट्रेट यदि चाहें तो इस संबंध में आपस में सामंजस्य कर रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे।

(शबनम कदीर मंसूरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/2023
प्रतिलिपि:—

राजगढ़, दिनांक

01. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, जिला— राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगढ़, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रिमाण्ड ड्यूटी में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
05. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(शबनम कदीर मंसूरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.